उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की 11वीं बोर्ड बैठक दिनांकः 31 जनवरी, 2019 का कार्यवृत

मा0 आवास मंत्री/मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में 11वीं बोर्ड बैठक, दिनांकः 31.01.2019 को राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून स्थित राज्य प्राधिकरण के सभागार में आयोजित की गई।

उपस्थितिः–

1. श्री नितेश कुमार झा, सचिव आवास/मुख्य प्रशासक, उडा।
2. श्री बी0एस0 मनराल, प्रभारी सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एल0एन0 पंत, अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री पी0सी0 खरे, वित्त नियंत्रक, उडा।
5. श्री डी0एम0एस0 राणा, उपसचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्रीमती गीता खुल्बे, मुख्य नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।

अन्य उपस्थितिः–

1. श्री बंशीधर तिवारी, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उडा।
2. श्री एन0एस0 रावत, मुख्य अभियन्ता उडा।
3. श्री अनिल कुमार त्यागी, अधीक्षण अभियन्ता, उडा।
4. श्री सर्वेश कुमार मित्तल, अधिशासी अभियन्ता, उडा।
5. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उडा।

सर्वप्रथम मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से 11वीं बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें 10 वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन पर चर्चा की गयी और निर्णयों की पुष्टि के उपरान्त विभिन्न विषयों पर निम्न निर्णय भी लिये गये–

1. क्रम संख्या–07 पर निर्णय लिया गया कि भूमि का स्वामित्व की स्थिति जिलाधिकारी चमोली से ज्ञात कर ली जाए तथा गैरसैण में इन्ट्रीग्रेटेड टाउनशिप विकसित करने हेतु अन्य भूमि के विकल्पों पर भी विचार करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
2. क्रम संख्या–08 के क्रम में निर्णय लिया गया कि भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तथा हस्तान्तरण हेतु आवश्यक औपचारिकता सुनिश्चित की जाए। योजना के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु एक समिति अपर मुख्य प्रशासक/अपर सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित की जाए, जिसमें सदस्य के रूप में संयुक्त मुख्य प्रशासक एवं मुख्य अभियन्ता उडा को सम्मिलित किया जाए। समिति द्वारा शीघ्र अपनी आख्या प्रस्तुत की जाए।
3. क्रम संख्या–09 में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रस्तावों पर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से योजनाओं की डी0पी0आर0 शासन को प्रेषित की जाए।
4. क्रम संख्या–10 के सम्बन्ध में मुख्य नगर नियोजक द्वारा अवगत कराया गया कि आर0एफ0पी0 बनायी जा चुकी है और आर0एफ0पी0 के अनुमोदन की प्रक्रिया गतिमान है। इस सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष द्वारा अवगत कराया गया कि मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न विकास क्षेत्रों की महायोजना बनाये जाने की घोषणा की गयी है और

घोषणाओं का क्रियान्वयन शीघ्र कराये जाने हेतु नगर एवं ग्राम नियोजन द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

5. क्रम संख्या–11 के सम्बन्ध में पूर्व में निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव में 50 प्रतिशत के स्थान पर 35 प्रतिशत करते हुए शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।
6. विषय क्रमांक के अन्य बिन्दु संख्या–02 पर विस्तृत रूप से विचार–विमर्श किया गया और यह निर्णय लिया गया कि उडा द्वारा चयनित अभियन्ताओं की तैनाती करते हुए प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किये जाए और जिसमें विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं आवश्यक प्रपत्र प्राप्त होने के उपरान्त तैनाती सुनिश्चित की जाए।

उपरोक्त निर्णय के उपरान्त 11 वीं बोर्ड बैठक के एजेण्डा पर विचार–विमर्श किया गया और निम्न निर्णय लिये गये–

क्रमांक–01

विषय– वित्तीय वर्ष 2018–19 के आय–व्यय के विवरण के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2018–19 हेतु प्राधिकरण के आय एवं व्यय का विवरण संलग्नक–5 पर प्रस्तुत है, जिसके अन्तर्गत राज्य प्राधिकरण की आय रू0 1053.54 लाख के सापेक्ष रू0 1047.12 लाख व्यय हुए है।

अतः स्वीकृत आय–व्यय पुनर्विनियोग (संलग्नक–6) अनुमोदन हेतु प्रेषित है।

निर्णय– स्वीकृत बजट के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2018 तक के आय–व्यय का बोर्ड द्वारा अवलोकन किया गया और पुनर्विनियोग का प्रस्ताव बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया।

क्रमांक–02

विषय– रूद्रपुर आवासीय योजना की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

गत बैठक में गठित समिति की बैठक दिनांक 16.11.2018 को आयोजित की गयी। बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में नियोजन विभाग से केन्द्र सरकार की सूचीबद्ध एजेन्सियों की सूची प्राप्त की गयी। केन्द्र सरकार की कार्यदायी संस्थाओं के रूप में 08 संस्थाओं (संलग्नक–2)का उल्लेख होने को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 24.12.2018 को सम्बन्धित संस्थाओं से वित्तीय एवं तकनीकी प्रस्ताव दस दिवसों के अन्दर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। सम्बन्धित संस्थाओं द्वारा अतिरिक्त समय की अपेक्षा किये जाने पर पुनः दिनांक 05.01.2019 को सम्बन्धित संस्थाओं को पत्र प्रेषित करते हुए दिनांक 15.01.2019 तक प्रस्ताव राज्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी। निर्धारित दिनांक तक 2 फर्मों क्रमशः नेशनल प्रोजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन0पी0सी0सी0) तथा इन्जीनियरस प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड (ई0पी0आई0एल0) के प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं। प्रस्तावों पर निर्णय उपरान्त निर्माण एजेन्सी नियुक्त करने तथा हुडको से ऋण प्राप्त करने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

अतः दोनो प्राप्त प्रस्तावों के तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन की अनुमति हेतु प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि केन्द्रीय एजेन्सियों से केवल दो ही एजेन्सियों द्वारा अपने वित्तीय प्रस्ताव पेश किये गये, इसलिए राज्य सरकार की अधिसूचित

निर्माण एजेन्सियों से भी एक सप्ताह के अन्तर्गत वित्तीय प्रस्ताव प्राप्त करते हुए, समस्त प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करा जाए। परीक्षणोपरान्त योजना के क्रियान्वयन हेतु निर्माण एजेन्सी के चयन के प्रस्ताव पर मा0 अध्यक्ष महोदय के अनुमोदन के उपरान्त निर्माण एजेन्सी का चयन किया जाए। पूर्व में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वाप्कोस को डी0पी0आर0 बनाने तक अनुबन्धित धनराशि का भुगतान किया जाए और भुगतान की गयी धनराशि प्रस्तावित निर्माण एजेन्सी को देय सेन्टेज को कम कर समायोजन किया जाए। अपर मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में समिति, जिसमें सदस्य के रूप में संयुक्त मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक एवं मुख्य अभियन्ता को सम्मिलित किया जाए।

क्रमांक–03

विषय– Ease of Doing Business के अन्तर्गत नवगठित जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में ऑनलाइन भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु साफ्टवेयर बनाने के सम्बन्ध में।

Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत Business Reform Action Plan में दिये गये दिशा–निर्देशों को समायोजित करते हुए मानचित्र स्वीकृति प्रणाली हेतु एकीकृत आनलाईन सिस्टम तैयार किया जाना प्रस्तावित था, जिस हेतु तत्समय 05 प्राधिकरणों मुख्यतः उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, नैनीताल झील परिक्षेत्र विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (वर्तमान में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल के रूप में स्थापित), मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण तथा हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण के लिए उक्त सिस्टम विकसित किये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी थी, जिसके उपरान्त M/S Softtech Engineers Private Limited, Pune को तकनीकी एवं वित्तीय रूप से सफल घोषित किया गया था। सफल घोषित किये जाने उपरान्त M/S Softtech Engineers Private Limited, Pune के साथ 05 प्राधिकरणों हेतु ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली को विकसित किये जाने हेतु अनुबन्ध निष्पादित किया गया था।

चयनित कार्यदायी संस्था द्वारा Application तैयार कर ली गयी गयी थी। हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण में माह जुलाई 2017, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण में माह अगस्त 2017, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण में माह दिसम्बर 2017, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ऊधमसिंह नगर में जून, 2018 तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण नैनीताल में माह अक्टूबर, 2018 को Application लाईव कर दी गयी है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त प्राधिकरण में तैनात तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु विभिन्न कार्यदिवसों में प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित की गयी। प्रशिक्षण दिये जाने के उपरान्त वर्तमान में दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, ऊधमसिंह नगर तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल में अलग–अलग Consoles के माध्यम से मानचित्र स्वीकृति के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त करने की प्रक्रिया गतिमान है।

उक्त के अतिरिक्त वर्तमान में नवगठित समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों हेतु एकीकृत ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति प्रणाली विकसित की जानी है। निविदा की समस्त औपचारिकताएँ पूर्ण किये जाने हेतु आर0एफ0पी0 तैयार कर दिनांक 21.12.2018 को ई–टेण्डर

पोर्टल पर अपलोड किया जा चुका है जिसके लिए दिनांक 23 दिसम्बर, 2018 को दैनिक समाचार पत्र क्रमशः अमर उजाला तथा दैनिक हिन्दुस्तान (हिन्दी संस्करण) में विज्ञप्ति प्रकाशित करवायी गयी। निविदा प्राप्त किये जाने जाने की अन्तिम तिथि दिनांक 14 जनवरी 2019 को संशोधित कर 25 जनवरी, 2019 किया गया। संशोधित तिथि दिनांक 25 जनवरी 2019 तक 2 फर्मों क्रमशः तत्व टेक्नॉलीजी लिमिटेड, भुवनेश्वर तथा सी0एस0डी0सी0 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा द्वारा निविदा प्रेषित की गयीं।

अतः प्राप्त निविदाओं के तकनीकी व वित्तीय मूल्यांकन हेतु प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– प्रस्ताव पर विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि प्राप्त दोनों फर्मों के तकनीकी मूल्यांकन किया जाए। बैठक में अपर सचिव, वित्त द्वारा अवगत कराया गया कि क्यू0सी0बी0एस0 के अन्तर्गत रू0 40 लाख से अधिक के कार्यों को किये जाने हेतु, चयन प्रक्रिया प्रारम्भ करने से पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी आवश्यक है। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर निर्णय लेने से पूर्व वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

क्रमांक–04

विषय– राजीव गांधी बहुउद्देशीय भवन परिसर में स्थापित दो लिफ्टों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

राजीव गांधी बहुउद्देशीय भवन का निर्माण मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। भवन के प्रथम तल व द्वितीय तल पर डिस्पेन्सरी रोड से हटाये गये दुकानदारों को दुकाने आवंटित की गयी है तथा तृतीय तल पर तहसील (सदर) कार्यालय, चतुर्थ तल पर उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय, जिलापूर्ति विभाग कार्यालय तथा जिला उपभोक्ता प्रतितोष फोरम कार्यालय, पंचम तल पर उत्तराखण्ड मेट्रो रेल, शहरी अवस्थापना एवं भवन निर्माण निगम लिमिटेड कार्यालय, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग कार्यालय तथा उत्तराखण्ड भू–सम्पदा नियामक प्राधिकरण कार्यालय संचालित किये जा रहे हैं तथा काम्पलैक्स के भू–गेह तथा भू–तल पर पार्किंग का संचालन भी किया जा रहा है। भवन में सुचारू आवागमन हेतु दो लिफ्टों की स्थापना भी मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण द्वारा करायी गयी है।

मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून के पत्र संख्या–1638/पी0एम0यू0/2016, दिनांक 28.09.2016 द्वारा अवगत कराया है कि प्राधिकरण द्वारा डिस्पेन्सरी रोड पर निर्मित राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलैक्स का निर्माण उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, इकाई–1 से कराया गया है परन्तु उसका हस्तान्तरण निर्माण एजेन्सी द्वारा तत्समय तक प्राधिकरण को नहीं किया गया है। अतः राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलैक्स का रख–रखाव कार्य उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जाना उचित होगा।

भवन में स्थापित लिफ्ट प्राय खराब होती रहती है, लिफ्ट खराब रहने की स्थिति में जनसाधारण द्वारा बार–बार शिकायत की जाती है, इसके साथ ही परिसर में स्थित सरकारी कार्यालयों के कार्मिकों एवं अधिकारियों एवं आगंतुकों को परेशानियों का सामना करना पडता है।

विशेषकर दिव्यांगो को भी काफी असुविधा उत्पन्न होती है। लिफ्ट के सुचारू संचालन हेतु उडा द्वारा ए०एम०सी० कराये जाने के प्रस्ताव पर मा० मंत्री, आवास/अध्यक्ष, उडा द्वारा भी अनुमोदन प्रदान किया गया। ए०एम०सी० हेतु आर०एफ०पी० बनाकर निविदा आधार पर लिफ्ट के रख–रखाव का प्रस्ताव तैयार किया गया तथा दिनांक 27.12.2018 को दो समाचार पत्रों (राष्ट्रीय सहारा एवं दैनिक जागरण) में विज्ञप्ति प्रकाशित कराते हुए ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित करायी गयी, जिसके सापेक्ष चार फर्मों द्वारा राज्य प्राधिकरण को निविदाएँ प्रेषित की गयी हैं, जिन पर गुणदोष के आधार पर कार्यवाही गतिमान है।

अतः उपरोक्तानुसार कार्यवाही बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय– प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा अवलोकन करते हुए अनुमोदन किया गया। सचिव आवास द्वारा निर्देश दिये गये कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों को उडा द्वारा निर्देशित करते हुए आदेश जारी किये जा सकते हैं। इस प्रकार प्रकरणों के सम्बन्ध में उडा आवश्यक व्यवस्था करने हेतु मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण को यथानिर्देश/आदेश जारी करें।

क्रमांक–05

विषय– राज्य प्राधिकरण तथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्स एजेन्सी के माध्यम से कार्मिक तैनात किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या–111(1)/XXX(2)2018–30(12)/2018, दिनांक 27.04.2018 (संलग्नक–7) के प्रस्तर 12(4) में व्यवस्था दी गयी है कि– बाह्य स्रोत से जिन सेवाओं की मूलनियोक्ता को आवश्यकता हो, का सर्विस लेवल एग्रीमैन्ट, जिसमें सेवा प्रदान करने वाले आउटसोर्सिंग एजेन्सी के कर्मी का जॉब चार्ट सम्मिलित हो निर्मित किया जाए एवं तदानुसार ही अनुबन्ध पत्र निर्मित कर कार्मिक विभाग की पूर्वानुमति से 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, तक नियोजित किये जाने के सम्बन्ध में अनुबन्ध (बॉण्ड) निष्पादित किया जाए, इस व्यवस्था के अन्तर्गत उपनल के माध्यम से इतर विभिन्न श्रेणी के कार्मिकों एवं तकनीकी कार्मिकों को आउटसोर्सिंग माध्यम से आवश्यकतानुसार यथा जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों में तैनात करने हेतु राज्य प्राधिकरण द्वारा दो समाचार पत्रों क्रमशः दैनिक जागरण एवं अमर उजाला के देहरादून संस्करण के दिनांक 05.10.2018 के अंक में विज्ञप्ति प्रकाशित करायी गयी, जिसमें ई–टेण्डर के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गयी। छः आउटसोर्सिंग एजेन्सियों द्वारा निविदाएँ राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की गयी हैं। विभिन्न स्तर के कार्मिकों को तैनात किये जाने हेतु आउटसोर्सिंग एजेन्सी का चयन किया जाना प्रस्तावित है और एजेन्सी के माध्यम से ही सर्विस लेवल एग्रीमैन्ट सम्पादित किया जायेगा।

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की तैनाती/नियमित नियुक्ति के अभाव में कार्यों का सम्पादन न होने का उल्लेख करते हुए समीक्षा बैठकों में भी बार–बार अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती का अनुरोध किया जा रहा है।

अतः कार्मिकों एवं विशेषज्ञों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से आवश्यकतानुसार तैनाती करने हेतु शासन से स्वीकृति हेतु अनुरोध किया गया है। शासन से स्वीकृति उपरान्त प्राप्त निविदाओं के आधार पर कार्मिकों की तैनाती हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में अवगत कराया गया कि आउटसोर्स एजेन्सी नियुक्ति करने हेतु शासन को प्रस्ताव प्रेषित किया गया। इस सम्बन्ध में निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के परीक्षण हेतु संयुक्त मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में एक समिति गठित जाए, जिसमें सदस्य के रूप मे वित्त नियंत्रक एवं मुख्य अभियन्ता सम्मिलित होंगे। उक्त समिति एक सप्ताह में प्रस्ताव प्रेषित करेगी और तदोपरान्त प्रस्ताव को शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित की जाए।

क्रमांक–06

विषय– राज्य प्राधिकरण में संविदा के आधार पर तैनात कार्मिकों की निरन्तरता बनाये रखने के सम्बन्ध में।

राज्य प्राधिकरण के ढॉचे में 69 (संलग्नक–8)पदों का सृजन किया गया है। वर्तमान समय मं दायित्वों के निर्वहन हेतु नियमित रूप से मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, प्रभारी सहायक अभियन्ता, एक अवर अभियन्ता तथा एक प्रभारी सम्पत्ति कार्यरत है। वैकल्पिक व्यवस्था के आधार पर अधीनस्थ कार्मिकों को उपनल, पी0आर0डी0 तथा आउटसोर्सिंग एजेन्सी के माध्यम से कार्मिकों के साथ–साथ सात संविदा कार्मिक क्रमशः कार्यक्रम प्रबन्धक, सहायक अभियन्ता, सहायक वास्तुविद, दो आई0टी0 एक्सपर्ट तथा दो कनिष्ठ लिपिक कार्यरत है। (विवरण संलग्नक–9 पर)

कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–111(1)/XXX(2)/2016–30(12)/2018, दिनांक 27 अप्रैल, 2018 (संलग्नक–7) में संविदा कार्मिकों को तैनाती किये जाने हेतु निम्न व्यवस्था दी गयी है–

- प्रस्तर 12(2) के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि "स्वीकृत पदों के सापेक्ष किसी भी दशा में संविदा/दैनिक वेतन/कार्य–प्रभारित/नियत वेतन/अंशकालिक/ तदर्थ नियुक्तियाँ बिना शासन की अनुमति के कदापि न की जाय। स्वीकृत पदों पर सुसंगत नियमावली के इतर की गयी नियुक्तियाँ शून्य मानी जायेंगी और यदि इस प्रकार कोई नियुक्तियाँ भविष्य में की गयी तो उनके पारिश्रमिक का भुगतान सम्बन्धित अधिकारी के वेतन/पेंशन से किया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।"
- प्रस्तर 12(3) के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि "विभागीय आवश्यकता होने पर कार्मिक विभाग की सहमति से कार्याधिक्य (Volume of Work) के औचित्य के आधार पर सम्बन्धित वितीय वर्ष में 11 माह अथवा कार्य समाप्ति तक, जो भी पहले हो, बाह्य स्रोत के माध्यम से केवल सेवाए ली जा सकती है। उक्त सम्बन्ध में नियोक्ता एवं सेवा प्रदाता एजेन्सी के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जायेगा, न कि नियोक्ता और कर्मचारी के मध्य, उक्त अनुबन्ध में ही दिये जाने वाले पारिश्रमिक एवं ली जाने वाली सेवा/कार्य का स्पष्ट उल्लेख हो"

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि सात संविदा कार्मिकों में से पाँच कार्मिकों को समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से वॉक–इन–इन्टरव्यू आधार पर संविदा पर रखा गया था तथा दो कार्मिकों को आवश्यकतानुसार स्वीकृत पद के सापेक्ष कनिष्ठ लिपिक पद पर संविदा पर

तैनात किया गया था। इन संविदा कार्मिकों को राज्य प्राधिकरण द्वारा कार्यों के सुचारू निर्वहन हेतु अभी तक कार्यरत रखा गया है। संविदा कार्मिकों से राज्य प्राधिकरण के कार्यों को संचालित किया जा रहा है जिसमें मुख्यतः जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के संचालन हेतु ट्रेनिंग, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस से सम्बन्धित कार्य, आनलाईन मैप एप्रुवल सिस्टम एवं सिंगल विंडो क्लीयरेन्स सिस्टम से सम्बन्धित कार्य, सी0एम0 डैश बोर्ड से सम्बन्धित कार्य, रेरा से सम्बन्धित आनलाईन आवेदनों एवं पत्रावलियों के निस्तारण से सम्बन्धित कार्य, ई–टेण्डर का कार्य के साथ–साथ उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत उपविधि, नियम, विभिन्न शुल्को तथा आवास नीति से सम्बन्धित कार्यों को सम्पादित कराया जा रहा है। कार्यों के सुचारू सम्पादन हेतु उक्त कार्मिकों की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है।

अतः वर्तमान में कार्यरत सात संविदा कार्मिकों की निरन्तरता बनाये रखने के सम्बन्ध में प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि अपर मुख्य प्रशासक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें संयुक्त मुख्य प्रशासक, वित्त नियंत्रक एवं मुख्य अभियन्ता सम्मिलित होंगे। उक्त समिति एक सप्ताह में कार्मिकों की निरन्तरता के सम्बन्ध में शासनादेशों को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के माध्यम से कार्मिक विभाग को सहमति हेतु प्रेषित किया जाए।

क्रमांक–07

विषय– प्रधानमंत्री आवास योजना की अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में।

भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2022 तक शहरी विकास निदेशालय को विभिन्न घटकों के अन्तर्गत लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके घटक ए0एच0पी0 में 38598 दुर्बल आय वर्ग के भवनों का निर्माण सम्बन्धित प्राधिकरणों के माध्यम से कराया जाना विचारणीय है तथा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा समस्त विकास प्राधिकरणों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घटक, भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (ए0एच0पी0) के अन्तर्गत 62000 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों का लक्ष्य निर्धारित करते हुए उत्तराखण्ड में समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के किफायती आवास योजना घटक के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण से सम्बन्धित अद्यतन स्थिति उपरोक्तानुसार बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय– प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि संशोधित प्रस्तावित आवास नीति 2019 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्तुत योजनाओं का आकलन करते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

क्रमांक–08

विषय– प्रदेश में आवास विभाग के अन्तर्गत विभिन्न प्राधिकरणों में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों का पुनरीक्षण किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश शासन, आवास अनुभाग–01 के शासनादेश संख्या–2281/ 9–आ0–1–96–डी0ए0/01 लखनऊ, दिनांक 22.06.1998 द्वारा मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (अपराधों का शमन) उपविधि 1998 प्रख्यापित करते हुए शमन शुल्कों के दरों के निर्धारण को राज्य के अन्य प्राधिकरणों द्वारा बोर्ड की बैठकों के क्रम में अंगीकृत कर लिया गया था।

सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आवास अनुभाग–02 के शासनादेश संख्या–40/V–2–2019–83(आ0)/2018, दिनांक 10.01.2019 (संलग्नक–10) द्वारा उक्त उपविधि में आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के शमन शुल्क की दरों में दिनांक 01.04.2019 से संशोधन करते हुए पुनरीक्षित दरें दिनांक 01.04.2019 से लागू होने के साथ ही समस्त प्राधिकरण बोर्ड बैठक में उपरोक्त पुनरीक्षित दरें अंगीकृत करते हुए लागू किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त पुनरीक्षित दरें प्राधिकरण में अंगीकृत किये जाने बोर्ड के अवलोकनार्थ प्रेषित।

निर्णय– प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों, मसूरी–देहरादून विकास प्राधिकरण, दूनघाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं हरिद्वार–रूड़की विकास प्राधिकरण से शमन शुल्क से प्राप्त धनराशि का 25 प्रतिशत अंशदान, उडा को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये।

क्रमांक–09

विषय– जन सम्पर्क अधिकारी की तैनाती किये जाने के सम्बन्ध में।

शासनादेश संख्या–1120/V–2–2016–53(आ0)/2014, दिनांक 29.07.2016 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में जन सम्पर्क अधिकारी वेतनमान रू0 9300–34800 (ग्रेड पे–4600) का एक अस्थायी पूर्णकालिक पद स्वीकृत किया गया। तदोपरान्त शासनादेश संख्या–2104/V–2–2017–53(आ0)/2014, दिनांक 15.12.2017 (संलग्नक–8) द्वारा उक्त पद को उडा के ढाँचे में सम्मिलित किया गया। स्वीकृत ढाँचे में उक्त पद की भर्ती प्रक्रिया नियमावली के अनुसार करने की व्यवस्था दी गयी है। पूर्व में समाचार पत्र के माध्यम से प्रतिनियुक्ति के आधार पर जनसम्पर्क अधिकारी को तैनात करने की विज्ञप्ति जारी की गयी और विज्ञापन आधार पर प्राप्त दो अभ्यर्थियों के प्रतिनियुक्ति हेतु आवेदन पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित 01 मात्र अभ्यर्थी का प्रतिनियुक्ति पर जनसम्पर्क अधिकारी पद हेतु चयनित किया गया। प्राधिकरण के वित्तीय संसाधन विकसित न होने के कारण प्रतिनियुक्ति निरस्त की गयी।

वर्तमान में उत्तराखण्ड के समस्त जिलों में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण गठित हो चुके हैं तथा इन नवगठित प्राधिकरणों के संचालन सुनिश्चित करना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत जन सामान्य को भवन उपलब्ध कराना, महायोजना का क्रियान्वयन करना, भारत सरकार के ईज ऑफ डूईंग बिजनेस के अन्तर्गत समस्त प्राधिकरणों में आनलाईन मानचित्र स्वीकृति

प्रणाली का क्रियान्वयन तथा भवन उपविधियों में संशोधन, शमन उपविधि के प्रचार–प्रसार तथा जन साधारण को जागरूक किया जाना राज्य प्राधिकरण के महत्वपूर्ण दायित्वों में से एक है। शासन के कतिपय प्रकरणों में उडा नोडल विभाग के रूप में भी नामित है। जनसम्पर्क अधिकारी के पद पर तैनाती नियमावली के अनुसार किये जाने का प्राविधान है परन्तु सेवा नियमावली बनाने में अभी समय लगने की सम्भावना है इसलिए तुरन्त आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए बाह्य स्रोत से संविदा पर तैनात किये जाने में विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रसार एवं सामंजस्य स्थापित करने में सहायक होंगे।

अतः उक्त प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रेषित।

निर्णय– प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया और प्रशासनिक विभाग को प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।

अन्य बिन्दुः–

1. मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से पार्किंग हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी घोषणाओं पर चर्चा की गयी, जिसमें निर्णय लिया गया कि पार्किंग निर्माण हेतु राज्य की निर्माण एजेन्सियों से प्रस्ताव प्राप्त कर लिये जाए तथा पार्किंग के विभिन्न मॉडल विकसित कर जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के माध्यम से पार्किंग विकसित की जाए। इस हेतु धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध आगणन शासन को प्रेषित किया जाए।
2. प्रस्ताव के क्रम में राज्य प्राधिकरणों के उपयोगार्थ दो वाहनों को क्रय किये जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(नितेश कुमार झा)
मुख्य प्रशासक

<u>संख्या– 1330 / उडा–24(3) / बोर्ड बैठक / 2014, दिनांक– 15 फरवरी, 2019</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, आवास / मा0 अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. प्रमुख सचिव / सचिव, आवास / प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त / प्रमुख सचिव / सचिव, शहरी विकास / प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन / प्रमुख सचिव / सचिव, वन / प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यटन / प्रमुख सचिव / सचिव, उद्योग / प्रमुख सचिव / मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण / मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
3. गार्ड फाईल।

(श्री बंशीधर तिवारी)
संयुक्त मुख्य प्रशासक